5/8/20 पत्रावली पेश हुई पत्रावली उपर
तहसीलदार तिवारी द्वारा पुनः मौका
रिपोर्ट प्राप्त शामिल मिसल कराई

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की ता... में जारी
A. R. [illegible] Adv. 21/7/20 81 दि. पुरानी पाइपलाइन की जगह ही [illegible] चालू [illegible] सहमत हूँ (सुरजीत[illegible])	प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि सिंचाई सुविधा हेतु जहाँ पुरानी पाइप लाइन दबाया था उसी जगह सिंचाई सुविधा बहाल करने के लिए निवेदन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने भी पुरानी पाइप लाइन के जगह ही नई पाइप लाइन सुविधा बहाल किया जाने की सहमति जताई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार सिकरी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, [illegible]	

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—42 / 2020

प्रार्थीः—बाबुराम पुत्र श्री हुकमाराम, जाति जाट निवासी रिनिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. चुतराराम पुत्र सिदाराम
2. लिखमाराम पुत्र श्री सिदाराम
   प्रफोर्मा पक्षकार
3. बुधाराम पुत्र श्री सिदाराम
4. थानाराम पुत्र श्री सिदाराम
5. कुंभाराम पुत्र श्री सिदाराम
6. पोकरराम पुत्र श्री सिदाराम
7. श्रीमति राजा पत्नी श्री शेराराम
8. राजूराम पुत्र श्री शेराराम नाबा. वली माता श्रीमति राजा
   सभी जातियान जाट, निवासीगण ग्राम रिनिया,
   तहसील—तिंवरी, जिला—जोधपुर।
9. श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित —

प्रार्थी — अधिवक्ता श्री नैनुराम विश्नोई।

अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी

अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय।

अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांकः—4/8/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि— तहसील तिंवरी के पटवार हल्का मांडियाई कला के ग्राम रिनिया की सरहद में खसरा

नम्बर 83 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 81 रकबा 10 बीघा की भूमि प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा आई हुई है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 83 में प्रार्थी के हिस्से में नलकूप खुदा हुआ है तथा प्रार्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है जो चालु हालत में है। खसरा नम्बर 81 पुश्तैनी भूमि है जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से विभाजन किया जाकर अलग–अलग हक हिस्से के आधार पर कब्जा काश्त है। विभाजन के वक्त अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 83 में प्रार्थी के हक हिस्से वाली भूमि में खुदे नलकूप से पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 81 में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में सिंचाई हेतु उक्त नलकूप से एक पानी की पाईप लाईन अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 82 में दर्शाये गये नजरी नक्शे अनुसार लगवाई गई थी। जो पिछले करीब 15 वर्षों से चल रही है जिससे प्रार्थी अपनी पुश्तैनी भूमि में सिंचाई कर रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी द्वारा उक्त पाईप लाईन से सिंचाई करके पुश्तैनी भूमि में कपास की फसल बोई हुई है। प्रार्थी के हक हिस्से वाली भूमि में पाईपलाईन से सिंचाई चलती है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी को हर वक्त तंग व परेशान करते है। दिनांक 15.07.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 चुतराराम व 2 लिखमाराम ने चलती हुई पाईप लाईन के रोल पाईप को जमीन में से खोदकर निकाल दिया तत्पश्चात् प्रार्थी ने गांव के मुख्यान को इकट्ठा किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को समझाया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नहीं मान रहे है तथा उक्त पाईपलाईन से प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में की जा रही सिंचाई से प्रार्थी को महरूम करना चाहता है तथा सिंचाई के अभाव में प्रार्थी की खसरा नम्बर 81 में बोई हुई कपास की फसल जल रही है। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी की पाईप लाईन करीब 15 वर्षों से चल रही है परन्तु अब अप्रार्थीगण उक्त पाईपलाईन को खोद कर निकाल दिया है। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 81 में उक्त पाईप

सहायक कलेक्टर, ...

Scanned with CamScanner

लाईन से सिंचाई की जा रही है तथा वर्तमान में कपास की फसल बोई हुई है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जानबुझकर पाईपलाईन को खोदकर निकाल दिया है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में सिंचाई की सुविधा से वंचित रह रहा है। पाईप लाईन को पुनः जमीन के अन्दर नजरी नक्शे अनुसार लगवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम रिनिया के खसरा नम्बर 83 में खुदे नलकूप से खसरा नम्बर 81 की भूमि में सिंचाई हेतु लगी पाईप लाईन को खसरा नम्बर 82 में यथास्थान लगवाकर सिंचाई की सुविधा को बहाल किये जाने का आदेश फरमावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी, अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

यह है कि हल्का पटवारी रिनिया से मौका रिपोर्ट तलब की गई। हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 82 रकबा 19.15 बीघा में से पाईपलाईन नजरी नक्शा अनुसार मांग की है। अप्रार्थीगण ने भी माना है कि पिछले लगभग 15 वर्षो से पाईप लाईन इसी जगह पर डाली हुई थी। प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता है केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए ही नहीं है। वैकल्पिक पाइपलाईन का अभाव है तथा अन्य किसी निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है।

यह है कि अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की सिंचाई हेतु पाइप लाईन की अत्यधिक आवश्यकता है वैकल्पिक पाईपलाईन का अभाव है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया है अर्थात् प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर, कोलिया

का प्रार्थना पत्र अखण्डनीय है। जिसको नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है अप्रार्थीगण ने भी पुराने स्थान पर पाईपलाईन लगाने हेतु सहमति जाहिर की। इसलिए मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को पाईप लाईन की सुविधा दी जानी न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे अनुसार वर्णित लाल स्याही में दर्शाये गये स्थान जहां पुरानी पाईप लाईन थी उसी जगह पुराने निशान निकालते हुए नयी पाईपलाईन डालने का आदेश दिया जाता है। मौका फर्द दिनांक 03.08.2020 निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार तिंवरी को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 4/8/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां